भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3385

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण एमएसएमई का बंद होना

3385. श्री राव राजेन्द्र सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उन उद्यमियों की संख्या की जानकारी है जिनके उद्यमों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्थायी रूप से बंद करना पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को चलाने वाले उन उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है जिन्हें कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपना उद्यम स्थायी रूप से बंद करना पड़ा था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : कोविड-19 महामारी के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की, आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की, घोषणा की गई थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक चालू थी। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से 98.3% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणी के थे, को बचाया गया था।

(ii) केंद्र सरकार एमएसएमई के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्द्धन (रैंप), पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई चैंपियंस इत्यादि के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है।

(iii) एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभों में वृद्धि।

(iv) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान, जिसमें भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी पूंजी/वेंचर कैपिटल निधि के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है।

(v) कोविड 19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से एमएसएमई की सुरक्षा और उन्हें विस्तारित राहत प्रदान करने के लिए तथा उनके प्रचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिनांक 11.04.2023 के का.ज्ञा. सं. एफ.1/1/2023-पीपीडी के माध्यम से विवाद से विश्वास स्कीम को शुरू किया है। कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई द्वारा अनुबंधों को निष्पादित करने में विफलता के मामलों में, बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

(vi) दिनांक 2.7.2021 से खुदरा और थोक विक्रेताओं का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

(vii) ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की शुरुआत करने के लिए, बजट घोषणा 2026-27 में निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की गई है:

क. सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए निपटान मंच के रूप में ट्रेड्स को अधिदेशित करना, अन्य कॉर्पोरेट्स के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करना।

ख. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए सीजीटीएमएसई समर्थित क्रेडिट गारंटी सहायता की शुरूआत।

ग. सरकारी एमएमएमई खरीद पर वित्तपोषकों के साथ सूचना साझा करने में सक्षम बनाने के लिए जेम का ट्रेड्स के साथ एकीकरण, जिससे तेज़ और किफायती ऋण सुगम हो सके।

घ. द्वितीयक बाजार को सघन बनाना, नकद उपलब्धि में सुधार, और निपटान में तेजी लाने के लिए ट्रेड्स की परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में शुरुआत।

इसके अलावा, ऋण तक पहुंच में सुधार करने, योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और देश में एमएसएमई के लिए संस्थागत सहायता को सुदृढ़ करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई-विकास कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ), बैंकों, सदस्य ऋण संस्थानों, सिडबी, सीजीटीएमएसई आदि के समन्वय में कार्यशालाओं/संवाद सत्रों का आयोजन करता है।

****